

प्रस्तुति-2 क
(नियम 4 देखिए)

नाम निर्देशन-पत्र

लोक सभा के लिए निर्वाचन

नीचे भाग-1 या भाग-2, इनमें से जो भी लागू न हो, उसे काट दें

भाग-1

(मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग के लिए)

मैं लोक सभा के निर्वाचन के लिए संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूँ।

अभ्यर्थी का नाम पिता/माता/पति का नाम उसका डाक पता.....

..... उसका नाम

संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र [में समविष्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र] की निर्वाचक नामावली के भाग सं० में क्रम सं० पर प्रविष्ट है।

मेरा नाम है जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र [में समविष्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र] की निर्वाचक नामावली के भाग सं० में क्रम संख्या पर प्रविष्ट है।

तारीख (प्रस्थापक का हस्ताक्षर)

भाग-2

(मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े न किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किए जाने के लिए)

हम घोषणा करते हैं कि हम लोक सभा के निर्वाचन के लिए 23, यमस्तीपुर (अ० झा०)

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित करते हैं।

अभ्यर्थी का नाम अमित कुमार

पिता/माता/पति का नाम श्री रामजी चौधरी उसका डाक पता बैंक ऑफ इंडिया कॉर्पोरेशन B/21, पौ०-वेटनरी कॉर्पोरेशन, पटना-800014 उसका नाम 30, पटना साहिब-

संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र [में समविष्ट 181, दीप्या विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र] की निर्वाचक नामावली के भाग सं० 76 में क्रम सं० 578 पर प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक हैं और हमारे नाम उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में, जैसे की नीचे उपदर्शित है, दर्ज है और हम इस नाम निर्देशन के प्रतीक स्वरूप नीचे अपने हस्ताक्षर करते हैं।

प्रस्थापकों की विशिष्टियाँ और उनके हस्ताक्षर ।

प्रस्थापक का निर्वाचन नामावली संख्यांक				पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
क्रम सं०	विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र घटक का नाम	निर्वाचन नामावली का भाग संख्यांक	उस भाग में क्रम संख्या			
1	2	3	4	5	6	7
1	133, समस्तीपुर	143,	102	मोहम्मद आशिक	MP A8648	9/4/14
2	133, समस्तीपुर	143,	129	मोनाजिर अली	Mo Naajir Ali	9/4/14
3	133, समस्तीपुर	143	72	जयात्र रहमान	Rahman	9/4/14
4	133 समस्तीपुर	143	75	मोहम्मद जमील	Mo Jamil	9.4.14
5	133 समस्तीपुर	143	835	मो. समस्तीराजालम	Mo. Samastirajalam	9-4-14
6	133 समस्तीपुर	143	982	मुमताज	Mumtaj	9-9-14
7	133 समस्तीपुर	143	1060	महबुब आलम	Mahbub Alam	9/4/2014
8	133 समस्तीपुर	79	595	जियातुल रहमान	Zayau Rahman	9/4/14
9	133, समस्तीपुर	79	422	मोहम्मद हमीद	Mo Hameed	9/4/14
10	133, समस्तीपुर	108	574	मोहम्मद राशिद परवेज	Mo Rasheed Parvez	9/4/14

कृपया ध्यान दें :- प्रस्थापक के रूप में निर्वाचन-क्षेत्र के 10 निर्वाचक होने चाहिए ।

मैं भूमि-1/भाग-2 (जो लागू न हो, उसे काट दें) में वर्णित अध्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूँ और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मैंने 25 वर्ष की आयु पूरी कर ली है;

(नीचे ख (i) या ख(ii) में से जो लागू न हो, उसे काट दें)

(ख) (i) मुझे इस निर्वाचन में लागू नहीं दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो इस राज्य में मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दल/राज्य दल है और उपयुक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे, आवंटित किया जाए।
या

(ii) मुझे इस निर्वाचन में समाज-वादी जनता पार्टी(राष्ट्रीय) दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो रजिस्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल है। मैं यह निर्वाचन स्वतंत्र अध्यर्थी के रूप में लड़ सकता हूँ; (जो लागू न हो, उसे काट दें) और मैंने जो प्रतीक चुने हैं, वे अधियान क्रम में (i) बैट्टी टाच
पैड (iii) चक्रहलवर-

(ग) मेरा नाम और मेरे पिता/माता/पति का नाम ऊपर हिन्दी (देवनागरी) (भाषा का नाम) में सही रूप में लिखा जा गया है।

(घ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं लोक सभा का स्थान भरने हेतु चुने जाने के लिए अर्हित हूँ और निरहित भी नहीं हूँ।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं ** जाति/जनजाति का सदस्य हूँ जो बिहार राज्य के उस राज्य में के 30, पटना चार्टर (क्षेत्र) के संबंध में अनुसूचित पार्टी- ** जाति/जनजाति है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मुझे लोक सभा के लिए निर्वाचन कराए जा रहे साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचन में से दो से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में अध्यर्थी के रूप में ** नामनिर्देशित नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा।

तारीख .09|04|14....

अमित कुमार
(अध्यर्थी का हस्ताक्षर)

* जम्मू-कश्मीर, अंदमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप की दशा में “मैं समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र” शब्द काट दीजिए।

** यदि लागू न हो तो इस पैरा को काट दीजिए।

** लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए।

*** जम्मू-कश्मीर, अंदमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप की दशा में लागू नहीं होगा।

कृपया ध्यान दें- “मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल” से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के अधीन संबंधित राज्य में मान्यताप्राप्त कोई राजनैतिक दल अभिप्रेत है।

(4)
भाग-3 क
(अभ्यर्थी द्वारा भरा जायेगा)

क्या अभ्यर्थी को :-

- (i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा-8 की-
 - (क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए; या
 - * (ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए, सिद्धदोष ठहराया गया है ; या
- (ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित किया गया है

} हाँ / नहीं

यदि उत्तर “हाँ” में है, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :-

- (i) मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्यांक
- (ii) पुलिस थाना(थाने) जिला(जिले) राज्य
- (iii) संबंध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था
- (iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख (तारीखे)
- (v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया
- (vi) अधिरोपित दंड कारावास (कारावासों) की अवधि और/या जुर्माने(जुर्मानों) की राशि उपदर्शित करें
- (vii) कारगार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें)
- (viii) क्या उपर्युक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील(अपीले)/पुनरीक्षण फाईल किए गये थे : हाँ/नहीं
- (ix) फाईल की गए अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की विशिष्टियाँ
- (x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील(अपीलों)/पुनरीक्षण-आवेदन फायल किए गए थे
- (xi) क्या उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह/वें लंबित हैं
- (xii) यदि उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदन) निपटारा हो गया है, तो -
 - (क) निपटारा की तारीख (तारीखें) :
 - (ख) पारित आदेश (आदेशों की प्रकृति) :

स्थान : २८८२तीपुर
तारीख : ०९/०४/१४

आमित कुमार
(अभ्यर्थी का हस्ताक्षर)

शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप

(भारत के संविधान अनुच्छेद 84(क))

(संसदीय निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी द्वारा भरा जाने वाला)

मेरा शपथ कुमार

अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ है। ईश्वर की शपथ लेता हूँ/लेती हूँ। सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ कि मैं विधि द्वारा रथापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठ रखूँगा/रखूँगी एवं मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा/रखूँगी।

आजम कुमार

उम्मीदवार का हस्ताक्षर
और बड़े अक्षर में नाम

श्री/ श्रीमती आजम कुमार

०१.२३

बजे ११.५५ वि. अमावस्या, ईश्वर का राजपत्र अक्षयकृष्ण (रथापिता) में मेरे सामने ईश्वर के नाम पर शपथ ली/ सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान किया।

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

नाम :-

आजम २०१५

पदनाम :- ईश्वर दुर्गाकांड १० लोहा

मुहर :- ईश्वर का राजपत्र अक्षयकृष्ण

२३. (२३ अक्षयकृष्ण) लाक सभा निवास, जब

—सह—

जिला पश्चिमासी, समस्तीपुर

यहाँ से फाड़े

(5)

भाग-4

(रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा भरा जायेगा)

नामनिर्देशन-पत्र की क्रम सं० ३।

यह नामनिर्देशन मुझे मेरे कार्यालय में ०९.०४.२०१५..... (तारीख) को ३५०.०१.०५..... (बजे) *अध्यर्थी/प्रस्थानक द्वारा परिदृष्ट किया गया ।

तारीख : ०९.०४.२०१५.

* जो शब्द लागू न हो उसे काट दीजिये ।

निवन्त्री पदाधिकारी
23-समस्तीपुर (अ०३१०) लोक सभा,
(रिटर्निंग ऑफिसर) मह—

जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर

भाग-5

नामनिर्देशन-पत्र को प्रतिगृहित या रद्द करने वाले रिटर्निंग ऑफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशन-पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ -

तारीख :

(रिटर्निंग ऑफिसर)

..... (छिद्रण)



“प्रस्तुप 26”
(नियम 4क देखिए)



23, समस्तीपुर (अ० जा०) निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा
(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

RegdNo-A/AB-127/69

(सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र

भाग-क

मैं अमित कर्मार **पत्र/पुस्ती/पत्ती श्री रामजी चौधरी आयु 25 वर्ष, जो वैक अपार्टमेंट कॉम्पली, B/21, पो० वेटली कॉम्प्लेज, पट्टन-800014 (डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ:-

(1) मैं राजनीतिक दल का नाम (राष्ट्रीय) (**राजनीतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/

**एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।

(2) मेरा नाम 127/69, दीप्या विद्यान समाजीन, बिहार (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं. 76 के क्रम सं. 578 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं. 9304361805 है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) amit_aggarwal300@yahoo.com है।

(4) स्थाई लेख संख्यांक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्राप्ति :

क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रूपये में)
1.	स्वयं	ANPPK4545A	शू-प-	शू-प
2.	पति या पत्नी	AGYPN2165K	शू-प-	शू-प
3.	आश्रित-1	शू-प-	शू-प-	शू-प-
4.	आश्रित-2	शू-प-	शू-प-	शू-प-
5.	आश्रित-3	शू-प-	शू-प-	शू-प-

(2)

- (5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किये गये हैं।
 यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी :-
- (i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित हैं जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	एफ.आई.आर.नं: 0210/15-10-2007 / हाईकोर्ट पैगेलॉर विटी/कर्नाटक
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	u/s : 468, 469, 471, 420, 34 मार्ग वि.
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	8th ACMM/विटी/4531/2008 न्यायालय रक्षान दिनांक 28.02.08 तक आरोपित दिनांक 30.06.11 को लिया गया।
(घ)	न्यायालय जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	8th ACMM. न्यायालय / विटी
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	Cognizance taken on 28.02.2008 and charge framed on 30.06.2011.
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	नहीं

- (ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिसमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिखा गया है [पूर्वोक्त मद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न]

शून्य-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शून्य-
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहाँ न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिखा गया है	शून्य-
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे	शून्य-

- (6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951) 1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है :-
 21-25 यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहरायया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है :

(क)	उन मामलों के ब्यौरे अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	शून्य-
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	शून्य-
(ग)	अधिरोपित दंड	शून्य-
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हाँ, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति	शून्य-

(7), मैं मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम (Movable) और स्थावर (Immovable) आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ :

अ. जंगम (Movable) आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - जमा/विनिधान की दशा में रकम जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और खाता सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 - सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिवेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 - यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक पतिनिधित्व अधिनियम की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 - रकम सहीत ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी	150000=00	50000=00	शू-य	शू-य	शू-य
(ii)	बैंक खाता में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं) वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के प्राप्त जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, वॉरिंग रोड, पैकेज बचत खाता 742998=00 A/c No — 512002010006950 6951.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया- वॉरिंग रोड, पैकेज बचत खाता बचत 2915 512002010006950 10,400=00 बैंक ऑफ इंडिया वॉरिंग केनाल रोड पैकेज बचत खाता 600=00; A/c No 442810310000097	शू-य	शू-य	शू-य
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों/डिवेंचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	शू-य	शू-य	शू-य	शू-य	शू-य
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पॉलिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	शू-य	शू-य	शू-य	शू-य	शू-य
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/ अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	शू-य	शू-य	शू-य	शू-य	शू-य

(vi)	मोटरवान/ वायुयान/ वाट/ पोत (मेक रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम	शून्य	NANO, LX; BROIBK7655, 2012, ₹ 225000=00	शून्य	शून्य	शून्य
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएँ) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	शून्य	सोना, 100 ग्राम किलो-300000/- ₹	शून्य	शून्य	शून्य
(viii)	कोई अन्य आस्तियाँ जैसे कि दावों/हित का मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ix)	समग्र कुल मूल्य	892998=00	586000=00	शून्य	शून्य	शून्य

छ. स्थावर (Immovable) अस्तियों के ब्यौरे

टिप्पणि 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पणि 2 - प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियाँ सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	गैर कृषि भूमि अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शू-य	शू-य	शू-य	शू-य	शू-य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शू-य	शू-य	शू-य	शू-य	शू-य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शू-य	शू-य	शू-य	शू-य	शू-य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शू-य	शू-य	शू-य	शू-य	शू-य
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	शू-य	शू-य	शू-य	शू-य	शू-य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शू-य	शू-य	शू-य	शू-य	शू-य
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शू-य	शू-य	शू-य	शू-य	शू-य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शू-य	शू-य	शू-य	शू-य	शू-य
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शू-य	शू-य	शू-य	शू-य	शू-य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शू-य	शू-य	शू-य	शू-य	शू-य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शू-य	शू-य	शू-य	शू-य	शू-य
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	शू-य	शू-य	शू-य	शू-य	शू-य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शू-य	शू-य	शू-य	शू-य	शू-य
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शू-य	शू-य	शू-य	शू-य	शू-य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शू-य	शू-य	शू-य	शू-य	शू-य
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शू-य	शू-य	शू-य	शू-य	शू-य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शू-य	शू-य	शू-य	शू-य	शू-य

	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	शु-य	शु-य	शु-य	शु-य	शु-य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शु-य	शु-य	शु-य	शु-य	शु-य
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	शु-य	शु-य	शु-य	शु-य	शु-य
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	शु-य	शु-य	शु-य	शु-य	शु-य

8. मैं लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों (dues) के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-

(टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दें)

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या शोध्य (loan or dues) बैंक या वित्तीय संस्था को नाम बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	शु-य	₹ 195000/- (कार लोन) टाटा मोटर फाइनेंस	शु-य	शु-य	शु-य
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किसी अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	शु-य	शु-य	शु-य	शु-य	शु-य
	कोई अन्य दायित्व	शु-य	शु-य	शु-य	शु-य	शु-य
	दायित्वों का कुल योग	शु-य	शु-य	शु-य	शु-य	शु-य
(ii)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	शु-य	शु-य	शु-य	शु-य	शु-य
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शु-य	शु-य	शु-य	शु-य	शु-य
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शु-य	शु-य	शु-य	शु-य	शु-य
	टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शु-य	शु-य	शु-य	शु-य	शु-य

सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शू-प	शू-प	शू-प	शू-प	शू-प
आय-कर शोध्य	शू-प	शू-प	शू-प	शू-प	शू-प
धनकर शोध्य	शू-प	शू-प	शू-प	शू-प	शू-प
सेवाकर शोध्य	शू-प	शू-प	शू-प	शू-प	शू-प
नगरपालिका/संपत्ति कर शोध्य	शू-प	शू-प	शू-प	शू-प	शू-प
विक्रयकर शोध्य	शू-प	शू-प	शू-प	शू-प	शू-प
कोई अन्य शोध्य	शू-प	शू-प	शू-प	शू-प	शू-प
(iii) सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	शू-प	शू-प	शू-प	शू-प	शू-प
(iv) क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हाँ तो अंतबलित (Involved) रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	शू-प	शू-प	शू-प	शू-प	शू-प

9. वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं शू-उद्यमी
 (ख) प्रति या पत्ती श्रीकृष्ण

10. मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है :-

इंटरमिडिएट/ बी.एड/वनिंगकॉर्सेज, पटना/विद्यार्थी अनुकूलन कानूनी/2001

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्रूफ का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

भाग-ख

11. भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गए ब्यौरों का उद्धरण

1. अभ्यर्थी का नाम	श्री/ श्रीमती/क्र० अमित कुमार
2. डाक का पूरा पता	बैंक अॅफ इंडिया कॉलनी; B/21; पोस्ट: विटनरी कॉर्बेज, पटना- पिन कोड: 800014
3. निवाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	23, उमस्तीपुर (झोजां)
4. उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	समाजवादी जनता पार्टी (राष्ट्रीय)

5.	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	01, (एक)			
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (ऊपर मद (i) उल्लिखित मामलों से भिन्न)	शू-य			
6.	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाएँ)	शू-य			
7. का स्थायी लेखा स0	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आय कर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय		
	(क) अध्यर्थी ANPPK4545A	शू-य	शू-य		
	(ख) पति या पत्नी A67PN2165K	शू-य	शू-य		
	(ग) आश्रित शू-य	शू-य	शू-य		
8.	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूपए में)				
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2

क.	जंगम (Movable) आस्तियां (कुल मूल्य)	892998.00	586000.00	शू-य	शू-य	शू-य
ख.	स्थावर (Immovable) आस्तियां	शू-य	शू-य	शू-य	शू-य	शू-य
(I)	स्वार्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	शू-य	शू-य	शू-य	शू-य	शू-य
(II)	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/ संर्निर्माण लागत (यदि लागू हो)	शू-य	शू-य	शू-य	शू-य	शू-य
(III)	अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	शू-य	शू-य	शू-य	शू-य	शू-य

	(क) स्वअर्जित आस्तियां (कुल मूल्य) (ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	श्रृंग	श्रृंग	श्रृंग	श्रृंग	श्रृंग
9.	दायित्व <u>श्रृंग</u>					
	(i) सरकारी शोध्य (dues) कुल	श्रृंग	श्रृंग	श्रृंग	श्रृंग	श्रृंग
	(ii) बैंक वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	श्रृंग	श्रृंग	श्रृंग	श्रृंग	श्रृंग
10.	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है	श्रृंग				
	(i) सरकारी शोध्य (dues) कुल	श्रृंग	श्रृंग	श्रृंग	श्रृंग	श्रृंग
	(ii) बैंक वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	श्रृंग	श्रृंग	श्रृंग	श्रृंग	श्रृंग
11.	उच्चतम शैक्षिक अर्हता (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें)					
	इच्छाक्रिया/बी० डी० इवनिंग कॉलेज, पटना/विद्यारंडट्रियट एज्युकेशन कॉलेज पटना/2001					

सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है।

(ख) मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

Mr./Mrs. Amit Kumar
Who is identified by
Sri N. K. Pd. Singh
Notary Public, Samastipuri

Shashi Bhushan Pd.
Aay
31/4/14

Sri N. K. Pd. Singh
Notary Public, Samastipuri

NK
31/4/14

अमित कुमार
अभिसाक्षी

E-N 361/12

टिप्पण 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3.00 अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिशनर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटेरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण 3 सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़ें यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थिति “शून्य” या “लागू नहीं होता” उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 शपथपत्र टंकित या सुपार्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण 5 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जाँच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो “शून्य” या “लागू नहीं” या “ज्ञात नहीं” जो उपयुक्त हो ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पण 6 शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी ।

मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्यायें हैं/हैं ..9304361805.....

मेरा ई-मेल आईडी (अगर कोई हो) है 9mit agarwal300@yahoo.com.....

एवं मेरा सोशल एकाउटस (अगर कोई हो) हैशृंग